न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी
कैलाशचन्द मीणा RAS

प्रकरण संख्या [illegible]
दायर दिनांक 18.07.2019

[illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ग्राम छौकरवाडा कलॉ तहसील भुसावर जिला भरतपुर ———————— प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर

2– [illegible] पुत्र [illegible] | जाति जाट निवासी छौकरवाडा

3– [illegible] पुत्र [illegible] | कलॉ तहसील भुसावर जिला

4– [illegible] पुत्र [illegible] | भरतपुर राज0

———————— अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता :– 1– श्री सुरेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी

2– श्री आशीष चौधरी एडवोकेट्ट अप्रार्थी 2 लगायत 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रैवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 02.08.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.2300 हेक्टर तथा आराजी खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हेक्टर वाके ग्राम छौकरवाडा कलॉ तहसील भुसावर मे स्थित है। जिनके नये नम्बरान बनाकर नक्शाट्रेस मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तरमीम करते समय मौके व कब्जे के विपरीत खसरा नम्बरान को नक्शा मे गलत दर्ज कर दिये है। नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 1894 के स्थान पर [illegible] को गलत दर्ज कर दिया है, तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1897 के स्थान पर 1894 दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी नक्शा ट्रेस मे शुद्विकरण करा पाने का अधिकारी है कि नक्शा ट्रेस मे विपरीत आराजी खसरा नम्बर 1897 के स्थान पर 1894 एवं खसरा नम्बर 1894 के स्थान पर 1897 संशोधित कर नक्शा ट्रेस मे अंकित किये जाने का निवेदन किया गया।

— 2 पर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से श्री आशीष चौधरी एडवोकेट ने अपना बकालतनामा पेश कर सहमति प्रस्तुत की। उभय पक्षकारान को सुना गया। तथा बकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं अप्रार्थीगण की ओर से पेश सहमति पत्र का अवलोकन करते हुए मनन किया गया। उभय पक्षकारान के बहस व सहमति का अवलोकर करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेश दिया जाता है कि छौकरवाडा कलॉ तहसील भुसावर के राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 1894 के स्थान पर 1897 एवं खसरा नम्बर 1897 के स्थान पर 1894 अंकित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2019 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कैलाशचन्द्र मीणा)
उपखण्डाधिकारी, भुसावर